



9.4.19 वकील वारीगठा उपस्थित।  
पुत्रियादी के समन तस्फीर। अरफ  
तामिन्ना उाज नगी इर डी व्यो  
पुत्रः शायल्लुई समन पेटा करे।  
पत्रावली कल्ले - तमषी नेरु अरफ  
11.10.19 को पेटा ले।

  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) सिवाना

11.10.19 पत्रावली काय पेटा पुत्र। आज भीतानी  
अधिकारी महोदय अरफ कार्य में व्यस्त  
है। इल्लया होकर पत्रावली दिनांक... 11/10/19  
को पेटा है।

16/11/19 - वकील वारी उपस्थित। वकील वारी द्वारा  
पुत्रियादीगठा के समन तस्फीर न्यायालय  
भारत सिविल 9/9/19 अरफ पेटा नहीं  
किने है अरफ सिविल 23/06/2017 के  
तलवी में ही किनारापनीन है। के वकील में  
भी तस्फीर भी समयावधि व्यतीत होने  
के उपरान्त भी वकील वारी द्वारा पुत्रियादीगठा  
में तलवी पूरव नहीं कराए जाके के अरफ  
पुत्रियादी होता है कि वकील वारी को उक्त  
अरफ में कोई रकम नहीं है अरफ उक्त  
रकम अरफ तलवी के अभाव में भोरश  
9 नियम 5 c/c के तहत रवाजि किया  
जाता है पत्रावली निर्णय सुगर डीकर  
इसिल दफतर है।

  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) सिवाना

